

आदेश

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषणा आश्रय की जाती है कि राजरव ग्राम घुमनसर खुर्द पटवार हल्का धतरवाला की सीव में भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 93 रकबा 2.21 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.31 हैक्टर, तथा खसरा नम्बर 120 रकबा 1.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 201 रकबा 4.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 2.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 8.21 हैक्टर व खसरा नम्बर 40 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 रकबा 2.11 हैक्टर में वादी का नाम महेश कुमार पुत्र बालाराम के स्थान पर रमेश चन्द्र उर्फ महेश कुमार पुत्र बालाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेंग। तहदनुसार तहसीलदार चिड़ावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो राजरव रिकार्ड में अमल दरामद करें।



यह निर्णय आदेश दिनांक १९.११.२०१६ को मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाई गया।

१९.११.२०१६ को मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले

(डा० रेश्मा खानगी)

जयवंत खसरा का साबित्कर्तारी

चिड़ावा जिला मुख्यालय (राज.)

(डा० नरेश खानगी)

जयवंत खसरा का साबित्कर्तारी
चिड़ावा जिला मुख्यालय (राज.)